न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 82/2018

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
मानवीरसिंह पुत्र रघुवीरसिंह जाति राजपूत निवासी साण्डेराव तहसील सुमेरपुर जिला पाली।		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुमेरपुर, जिला पाली

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
श्री नारायण लाल कुमावत, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांकः– 30.05.2019

अपीलान्ट्स की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखंड अधिकारी सुमेरपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 34/2018 बउनवान मानवीरसिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 08.06.2018 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर सरहद मौजा साण्डेराव II पटवार क्षेत्र साण्डेराव II तहसील सुमेरपुर जिला पाली के खसरा नंबर 1190 कुल रकबा 1.00 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन ठरडा की खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय दिनांक 08.06.2018 द्वारा खारिज किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दावे का आधार यह था कि अपीलांट का वादग्रस्त आराजी पर पिछले करीब 8–10 वर्षो से बिना रोक टोक के कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलांट ने कब्जे के संबध में खसरा परिवर्तनशील संवत 2068, 2069 के राजस्व रेकर्ड में अपीलांट का लगातार कब्जा दर्ज है। अपीलांट से पूर्व अपीलांट के पूर्वजो का उक्त आराजी पर निरन्तर निर्विवाद कब्जा काश्त चला आ रहा

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत में बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए,बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये ही जैर अपील निर्णय पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है। उक्त भूमि को अपीलाण्ट द्वारा मेहनत से कृषि योग्य बनाया है, जिसकी खातेदारी अधिकार प्रदान न कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट के हक हकूकों पर कुठाराघात किया है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील निर्णय को अपास्त कराते हुए वादस्थ भूमि का अपीलाण्ट को खातेदार घोषित करावें तथा रेस्पोडेन्ट को अपीलाण्ट के कब्जे काश्त से बेदखल नहीं करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करावें।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना करते हुए जैर अपील निर्णय पारित किया है। जैर अपील वादस्थ भूमि राजस्व रेकर्ड में सिवायचक बिलानाम राजकीय भूमि दर्ज है। यदि अपीलाण्ट उक्त भूमि पर किसी भी रूप में काबिज है, तो वह अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। इसके अतिरिक्त अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया, जिसे विभिन्न न्यायालयों द्वारा अपने निर्णयों में विधि विरूद्ध माना है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों एवं दस्तावेजात् के आधार पर जैर अपील निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावलनी पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर सरहद मौजा साण्डेराव ॥ पटवार क्षेत्र साण्डेराव ॥ तहसील सुमेरपुर जिला पाली के खसरा नंबर 1190 कुल रकबा 1.00 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन ठरडा पर प्रतिकूल कब्जा होने के आधार पर खातेदारी घोषित कराने का अनुतोष चाहा, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय पारित किया गया है। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी घोषित कराने का अनुतोष चाहा है, साथ ही कब्जे के संबध में खसरा परिवर्तनशील संवत 2068, 2069 की प्रति प्रस्तुत की। अब जहां तक प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार देने का प्रश्न है, तो इस सम्बन्ध में आर0आर0डी0 1996 पेज 389 रामसिंह बनाम रजिराम में यह प्रतिपादित किया गया है कि किसी व्यक्ति के कब्जे के आधार पर खातेदारी हकों की घोषणा नहीं की जा सकती है। इसी प्रकार आर0आर0डी0 1997 पेज 90 विधिक प्रतिनिधि ऑफ गोमाराम व अन्य बनाम अब्दुल वहीद में भी यह प्रतिपादित किया कि केवल लम्बे कब्जे के आधार पर किसी भी व्यक्ति के हक में खातेदारी अधिकारों की घोषणा नहीं की जा सकती, चाहे उसका कब्जा सम्वत् 2013 से लगातार ही क्यों न हो। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजी साक्ष्यों के रूप में खसरा परिवर्तनशील की प्रतियां प्रस्तुत की

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

है। कानूनन खसरा परिवर्तनशील, खसरा गिरदावरी रिकार्ड ऑफ राईट नहीं है, जिसमें यदि कब्जे की प्रविष्टि हो तो भी उसके आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते, जब तक कि यह सिद्ध न हो जाए कि भूमि पर कब्जा विधिवत दिया गया था। इसके अतिरिक्त उक्त वादग्रस्त आराजी सुमेरपुर पालिका क्षेत्र के पैराफेरी परिधीय सीमा स्थित हैं। जिससे उक्त आराजी का आवंटन/नियमन या खातेदारी दिया जाना विधिसम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जैर अपील निर्णय पारित किया है। जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी दृष्टिगोचर नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जात है तथा उपखंड अधिकारी सुमेरपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 34/2018 बउनवान मानवीरसिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 08.06.2018 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.05.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पाली